कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.04.2025

विषयः- “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में पॉक्सो एक्ट व हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,20,000/-1,20,000/- रू0 का अर्थदण्ड।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-155/2014 धारा 328,302,376(घ) भा0द0वि0 व धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व धारा 5g/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- शैलेन्द्र चौहान उर्फ अभय चौहान पुत्र दुर्गा प्रसाद चौहान निवासी इटाहा थाना खानपुर जिला गाजीपुर, 02- करिया यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी मिल्कीचक थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, 03- विनोद यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी मिल्कीचक थाना रोहनिया जनपद वाराणसी व 04- अजीत चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान निवासी खैरा थाना सैदपुर जिला गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-23.04.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-07/वि0न्या0 पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 01- शैलेन्द्र चौहान उर्फ अभय चौहान, 02- करिया यादव, 03- विनोद यादव व 04- अजीत चौहान उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भा0द0वि0 में आजीवन (सश्रम) कारावास व प्रत्येक को 50,000/-50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से, धारा 328/34 भा0द0वि0 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 20,000/-20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 5g/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास (सश्रम) व प्रत्येक को 50,000/-50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।